न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –773 / 2022

अनवान : –

1. रमेश लाल पु0 हुक्मचन्द जाति कमोसिंख निवासी सजराना तहसील नोहर।
2. कृष्णलाल पुत्र कर्मचन्द जाति कमोसिंख निवासी सजराना तहसील व जिला फ़ाजिल्का (पंजाब)।
3. भजनलाल पुत्र कानचन्द उर्फ माणकचन्द जाति कमो सिख निवासी चाहलावाली तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।

—— वादीगण

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र कानचन्द उर्फ माणकचन्द जाति कमो सिख निवासी चाहलावाली तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।
2. मुन्शीराम
3. देशराज
4. तिलकराज

| पि0 कर्मचन्द जाति कमोसिंख निवासी सजराना तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)

5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री रामकुमार अधिवक्ता **वादी**

श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 09/02/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 23 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 42 / 40 की कुल की कुल 9.36105.3130 हैक्ट भूमि जिसमें ओमप्रकाश का 1 / 126 हिस्सा भूमि एवं कर्मो बाई का 1 / 126 हिस्सा, कुशल्या रानी का 1 / 126 हिस्सा, मृतक कर्मचन्द जिसका जमाबंदी में धर्मचंद पुत्र राजाराम दर्ज है का 1 / 12 हिस्सा, प्रकाश रानी का 1 / 126 हिस्सा, वादी संख्या 1 का राजस्व रिकार्ड में परमेश्वरलाल नाम दर्ज है का 1 / 12 हिस्सा, भजनलाल का 1 / 126 हिस्सा, वीनारानी का 1 / 126 हिस्सा, सोमा रानी का 1 / 126 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में वादी का नाम परमेश्वर लाल पुत्र हुक्मचन्द दर्ज हो गया है जिसका शुद्धीकरण का इन्तकाल दिनांक 20.06.2018 को इन्तकाल संख्या 669 से किया जा चुका था किन्तु जमाबंदी में दर्ज नही हुआ इसी प्रकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में धर्मचन्द पुत्र राजाराम दर्ज है जबकि कर्मचन्द पुत्र राजाराम होना चाहिए तथा इसका नामान्तरण संख्या 668 दिनांक 20.06.2018 को दर्ज हो गया था किन्तु राजस्व रिकार्ड में वर्तमान जमाबंदी में दर्ज नही हो पाया। कर्मचन्द के वारिसान का इन्तकाल संख्या 668 व परमेश्वरलाल की जगह रमेश लाल इन्तकाल संख्या 669 के दुरूस्ती की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:00:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इन्तकाल संख्या 668 के आधार पर दिनांक 04.09.2019 को वादी संख्या 2 की बहिनों सुमित्रा रानी व कृष्णारानी ने दस्तबरदारी वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्य 1 के पक्ष में करवा दी थी। अब वाद भूमि में इनका कोई हक व हिस्सा नही रहा है इसलिए राजस्व रिकार्ड में धर्मचन्द पुत्र राजाराम दर्ज होने के कारण दस्तबरदारी का नामान्तरण नही हो पा रहा है अतः धर्मचन्द पुत्र राजाराम का नाम कलमजन कर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

कानचन्द उर्फ माणकचन्द की भूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज होने के पश्चात वादी संख्या 3 भजनलाल व प्रतिवादी संख्या 1 की बहिनो कुशल्यारानी, प्रकाशरानी, सोमारानी का नाम कलमजन कर उनका हक व हिस्सा वादी स0 3 व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब दर्ज किया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 की तरफ से श्री महेशचन्द्र शर्मा एडवोकेट ने वकालनामा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स0 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब दावा पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश हो चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता एवं स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी वादपत्र में अंकित अनुतोष के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

अतः वाद एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति एवं प्रस्तुत दस्तावेज़ात के अनुसार वादी का वाद काबिल डिक्री है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:00:06 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति एवं प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वादी रोही मौजा 23 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 42/40 की कुल की कुल 9.36105.3130 हैक्ट भूमि जिसमें ओमप्रकाश का 1/126 हिस्सा भूमि एवं कर्मो बाई का 1/126 हिस्सा, कुशल्या रानी का 1/126

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्सा, मृतक कर्मचन्द जिसका जमाबंदी में धर्मचंद पुत्र राजाराम दर्ज है का 1/12 हिस्सा, प्रकाश रानी का 1/126 हिस्सा, वादी संख्या 1 का राजस्व रिकार्ड में परमेश्वरलाल नाम दर्ज है का 1/12 हिस्सा, भजनलाल का 1/126 हिस्सा, वीनारानी का 1/126 हिस्सा, सोमा रानी का 1/126 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है दस्तवरदारी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर की जमाबन्दी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 42 की कुल 5.3130हैक भूमि में परमेश्वरलाल पुत्र हुक्मचन्द के स्थान पर रमेशलाल पुत्र हुक्मचन्द एवं धर्मचन्द्र पुत्र राजाराम के स्थान पर कर्मचन्द पुत्र राझांराम संशोधन किया जाता है तथा रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 42 में अंकित कर्मोबाई पत्नी कानचन्द उर्फ माणकचन्द , कुशल्यारानी , प्रकाशरानी, वीनारानी , सोमारानी पुत्रीया कानचन्द उर्फ माणकचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 1 को 7/126 हिस्सा बहिब का एवं धर्मचन्द पुत्र राजाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी यथावत रहेगी यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 09/02/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:00:06 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **श्री पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –733 / 2022

अनवान : –

1. रमेश लाल पु0 हुक्मचन्द जाति कमोसिंख निवासी सजराना तहसील नोहर।
2. कृष्णलाल पुत्र कर्मचन्द जाति कमोसिंख निवासी सजराना तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।
3. भजनलाल पुत्र कानचन्द उर्फ माणकचन्द जाति कमो सिख निवासी चाहलावाली तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।

—— **वादीगण**

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र कानचन्द उर्फ माणकचन्द जाति कमो सिख निवासी चाहलावाली तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।
2. मुन्शीराम
3. देशराज
4. तिलकराज

(क्रमांक 2, 3, 4) पि0 कर्मचन्द जाति कमोसिंख निवासी सजराना तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)

5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 733 सन 20232

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 42 की कुल 5.3130हैक्ट भूमि में परमेश्वरलाल पुत्र हुक्मचन्द के स्थान पर रमेशलाल पुत्र हुक्मचन्द एवं धर्मचन्द्र पुत्र राजाराम के स्थान पर कर्मचन्द पुत्र राझांराम संशोधन किया जाता है तथा रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 42 में अंकित कर्मोबाई पत्नी कानचन्द उर्फ माणकचन्द , कुशल्यारानी , प्रकाशरानी, वीनारानी , सोमारानी पुत्रीया कानचन्द उर्फ माणकचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 1 को 7/126 हिस्सा बहिब का एवं धर्मचन्द पुत्र राजाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी यथावत रहेगी यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक.......................की प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:00:06 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर